

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 33/2021- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 अगस्त, 2021

सा.का.नि. (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1253 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, नौवें और दसवें परंतुकों में, "अगस्त, 2021 के 31वें दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "नवंबर, 2021 के 30 वें दिन" अंको, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. सीबीआईसी -20006/24/2021- जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं. 76/2018, दिनांक 31 दिसंबर 2018 को सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं. 19/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 01 जून 2021, जिसे सा.का.नि. 363 (अ), दिनांक 01 जून 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया था।